

१५६

मा० सर्वोच्च न्यायालय
प्रकरण / समयबद्ध / द्वारा फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय

संख्या: पांच-111-आर(रिट-1)2014

इलाहाबाद-1

दिनांक अप्रैल १०, 2015

सेवा में,

समर्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- उप निरीक्षक नागरिक पुलिस रैंकर के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा -2011 के शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह व सफल अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाएँ उपलब्ध कराया जाना।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 26-3-2015 का अवलोकन करने की कृपा करें।

2— पुलिस मुख्यालय के उक्त पत्र के साथ अपर सचिव(प्रोन्नति) उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी-चार-4(16)/2014, दिनांक 18-3-2015 की छाया प्रति एवं उपनिरीक्षक ना०प० रैंकर परीक्षा 2011 में अर्ह 3514 कर्मियों की सूची एवं बोर्ड प्रपत्र-॥ (परिशिष्ट-2) भेजते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अद्यावधिक चरित्र पंजिका पूर्ण कर एवं बोर्ड प्रपत्र तैयार कर पुलिस मुख्यालय को परिक्षेत्र/इकाई मुख्यालय/पीएसी अनुभाग के कार्यालय के माध्यम से परीक्षणोंपरान्त बाक्स में रखकर सुरक्षित पुलिस मुख्यालय में दिनांक 6.04.2015 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आपके जोन से संबंधित परिक्षेत्रों से दिनांक 6-4-2015 तक उक्त अभिलेख पुलिस मुख्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध न कराने के कारण पत्र दिनांक 7-4-2015 द्वारा दिनांक 10-4-2015 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया किन्तु आज तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपके जोन के परिक्षेत्रों द्वारा संबंधित कर्मियों की चरित्र पंजिका एवं बोर्ड प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। परिणामतः उनके स्तर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है:-

क०सं०	जोन का नाम	परिक्षेत्र का नाम	चरित्र पंजिका की संख्या
1	कानपुर जोन	कानपुर	115
		झौसी	41
2	आगरा जोन	आगरा	155
		अलीगढ़	87
3	लखनऊ जोन	लखनऊ	133

✓


		फैजाबाद	91
4	वाराणसी जोन	वाराणसी	148
		आजमगढ़	81
		मिर्जापुर	67
5	बरेली जोन	बरेली	115
		मुरादाबाद	187
6	इलाहाबाद जोन	इलाहाबाद	112
		चित्रकूट	41
7	मेरठ जोन	सहारनपुर	99
		मेरठ	331
8	गोरखपुर	गोरखपुर	105
		देवीपाटन,	90
		बसती	32

3— उल्लेखनीय है कि पदोन्नति के पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों की चरित्र पंजिका/सेवाभिलेख पूर्ण कर उपलब्ध कराने के बारे में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र संख्या—डीजी—परिपत्र -49/2013, दिनांक 29-8-2013 निर्गत करते हुए वार्षिक मतव्य व सत्यनिष्ठा पूर्ण करने, दण्ड अपील एवं रिवीजन, निलम्बन व अपराध आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियाँ/सूचना अंकित करने एवं शासनादेश संख्या—13/21/89—का—1-1997, दिनांक 28-5-1997 के क्रियान्वयन आदि सभी बिन्दुओं पर समुचित मार्गदर्शन निर्गत किया गया है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 20-8-2013 की एक प्रति समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या—पॉच—111(वरिष्ठता)2013, दिनांक 16-1-2015 द्वारा पुनः सुलभ संदर्भ हेतु प्रति भेजी गयी है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा इस ओर बार—बार ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद जनपदों/इकाईयों द्वारा उक्त परिपत्र में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार चरित्र पंजियाँ एवं सेवाभिलेख पूर्ण कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। परिणामतः बोर्ड स्तर पर परीक्षण करने पर चरित्र पंजियों में त्रुटियाँ/कमियाँ विद्यमान रहती है, जिसे पूछ/सही करने हेतु अनावश्यक पत्राचार में विलम्ब होता है, जिस कारण उच्चाधिकारियों द्वारा घोर असंतोष व्यक्त किया जाता है। अतः अनुरोध है कि अपने अधीन परिक्षेत्रों/जनपदों को समुचित निर्देश निर्गत कर दें कि चरित्र पंजियों का परीक्षण पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत परिपत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन के अनुसार करके अवश्य पूर्ण कराकर ही चरित्र पंजियाँ उपलब्ध करायी जाय। यदि किसी कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति हो तो यथावश्यक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग—पॉच की सीयूजी नं० 9454402005 एवं 9454405235 पर वार्ता करके स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

3— अतः अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें कि जनपदवार सूचना तैयार कर परिक्षेत्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा परिक्षेत्र स्तर पर चरित्र पंजिकाएँ एवं बोर्ड प्रपत्र में सूचनाएँ संकलित की जाय। परिक्षेत्र स्तर

✓

पर संकलित की गयी समस्त सूचनाओं एवं चरित्र पंजियों की जॉच एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर करा ली जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तर ३ में अंकित पुलिस महानिदेशक के परिपत्र के अनुसार चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण करने के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त टीम यह प्रमाण पत्र देंगी कि समस्त चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण हैं तथा उपरोक्त परिपत्र के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं। परिक्षेत्र स्तर पर एकत्रित की गयी चरित्र पंजिकाओं और बोर्ड प्रपत्र एवं अन्य अभिलेखों को जोन स्तर पर संकलित करा लिया जाय तथा परीक्षणोंपरान्त बाक्स में सुरक्षित रखकर १४-४-२०१५ तक निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। इस संबंध में व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।


१०/५
(भगवान् स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वर्णी

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने स्तर से भी उपरोक्तानुसार वॉचित सूचना पुलिस मुख्यालय भेजने हेतु समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स को निर्देशित करने की कृपा करें।

- १— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ०प्र०, लखनऊ।
- २— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० लखनऊ।